



2026:AHC-LKO:15110-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 88 सन 2026

आलोक टिक्कू

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त
विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	सिद्धार्थ नंदवानी, प्रशांत शुक्ला
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

- हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ नंदवानी को, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा को श्री अकबर अहमद और सुश्री अलीना मसूदी की सहायता से तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत रिट न्यायालय द्वारा रिट - सी संख्या 12750/2025 (आलोक टिक्कू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 02.02.2026 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
- अपीलकर्ता ने उपर्युक्त रिट याचिका दायर कर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1860' कहा गया है) की धारा 25(2) के तहत उप निबंधक, फर्म, सोसाइटी और चिट, लखनऊ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सनब्रीज अपार्टमेंट-1 के निवासी कल्याण संघ के शासी निकाय के चुनावों के लिए अंतिम निर्वाचक मंडल घोषित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. रिट न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया आक्षेपित आदेश द्वारा शुरू की जा चुकी है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, विशेषकर इसलिए कि न तो क्षेत्राधिकार का अभाव है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।
5. हम आदरपूर्वक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय से असहमत हैं। यह न तो विधानसभा या संसद के चुनाव का मामला है और न ही ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान है। वैसे तो आम तौर पर हम उस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करते जहां चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, लेकिन उप निबंधक द्वारा चुनाव के लिए कोई समय सारिणी निर्धारित नहीं की गई थी। उन्होंने केवल निर्वाचक मंडल का गठन किया था और इस प्रक्रिया में कहा था कि अब चुनाव होंगे। इस आदेश के बाद, निवासी कल्याण संघ के संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी चुनाव समय सारिणी के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हमने पाया कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का दावा है कि वह साझा क्षेत्र से संबंधित भरण-पोषण राशि का बकाया नहीं है। इस संबंध में, उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) बिक्री/पट्टा नियम, 2018 के नियम 11 के अनुसार, उपर्युक्त रखरखाव का एक वर्ष का अग्रिम भुगतान जमा किया जाता है और इस एक वर्ष की गणना पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि से की जानी है, जो इस मामले में 30.12.2021 थी। इसलिए, उनका कहना है कि 30.12.2021 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए देय राशि का अग्रिम भुगतान पहले ही किया जा चुका है और 01.01.2023 और उसके बाद की अवधि के लिए उपर्युक्त तीन वर्ष का अग्रिम रखरखाव भुगतान डेवलपर को किया जा चुका है और उनके पास इस संबंध में रसीदों के रूप में दस्तावेजी प्रमाण हैं, जिन्हें उन्होंने इस अपील के साथ संलग्न करने का दावा किया है। इसलिए, उनके अनुसार 31.12.2025 तक देय राशि, जो उस वर्ष से पहले के वर्ष का अंतिम दिन है जिसमें बोर्ड के चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव 2026 में होने का प्रस्ताव है, यानी यह मानते हुए कि... 2026 में होने वाले चुनाव के लिए शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, लेकिन उप निबंधक ने याचिकाकर्ता को कभी भी उपरोक्त चुनाव के लिए मतदाताओं की अंतिम सूची में उसका नाम शामिल न करने का कारण नहीं बताया। माननीय एकल न्यायाधीश ने भी इस पहलू पर विचार न करके और याचिका को उन आधारों पर खारिज करके गलती की है जो विचाराधीन विवाद से संबंधित नहीं थे।
6. दूसरी ओर, निवासी कल्याण संघ की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा, जिनकी सहायता श्री अकबर अहमद और सुश्री अलीना मसूदी कर रही थीं, का तर्क है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता स्वयं प्रतिनिधि के रूप में उप निबंधक के समक्ष उपस्थित हुए थे और 17.11.2025 को जारी नोटिस के जवाब में कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उप

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निबंधक ने इस पहलू पर विचार किया है कि क्या हमारे समक्ष अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता खुले क्षेत्र के भरण-पोषण के बकाया का भुगतान नहीं कर रहा है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उप निबंधक ने अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के इस बचाव पर विचार नहीं किया है। हालांकि, उनका कहना है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के बकाया न होने के संबंध में उठाया गया यह तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत है।

7. हमारा मत है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह निवेदन, जो खुले क्षेत्र के भरण-पोषण के बकाया भुगतान में देरी करने वाले 299 सदस्यों में से एक है, को अंतिम मतदाता सूची जारी करने और उसमें से अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का नाम हटाने से पहले उप निबंधक द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। मामले के तथ्यों के आधार पर, हमारा मत है कि उप निबंधक को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और उसके बाद, बकाया भरण-पोषण के भुगतान की किसी भी शर्त के बिना अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने की पात्रता को अंतिम रूप देना चाहिए, यदि इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, या यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में, वह ऐसी शर्त लगा सकता है जैसा कि उसने रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए गए अपने आदेश में लगाया है।

8. अतः, हम उप निबंधक को निर्देश देते हैं कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पर विचार करें। उक्त आवेदन की एक प्रति अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता श्री अकबर अहमद के माध्यम से निवासी कल्याण संघ को दी जाएगी, जो उप निबंधक के समक्ष उपस्थित होंगे और उप निबंधक इसके बाद पंद्रह दिनों के भीतर विवाद का निर्णय करेंगे, जिसमें निवासी कल्याण संघ को उसी अवधि के भीतर आवेदन पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यदि उप निबंधक को अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का पक्ष उचित लगता है, तो उन्हें दिनांक 16.12.2025 के उस आदेश पर पुनर्विचार करना होगा और तदनुसार उसमें संशोधन करना होगा, जिसे इस कार्यवाही में चुनौती दी गई है। हालांकि, यदि उप निबंधक यह पाते हैं कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता वास्तव में भरण-पोषण बकाया का भुगतान नहीं कर रहा है और चुनाव में मतदान करने का हकदार नहीं है, तो उप निबंधक का दिनांक 16.12.2025 का आदेश यथावत रहेगा, हालांकि, वे इस संबंध में अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता और निवासी कल्याण संघ को एक तर्कसंगत निर्णय सूचित करेंगे।

9. उपरोक्त कारणों से, दिनांक 02.02.2026 का आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। अपील को अनुमति दी जाती है। हमारा आदेश केवल अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता पर लागू होता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. उप निबंधक का दिनांक 16.12.2025 का आदेश अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता से संबंधित उपरोक्त अनुसार उनके द्वारा लिए जाने वाले नए निर्णय के अनुरूप होगा।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 24, 2026

-पीयूष-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।